राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 16.01.2015

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/2014–143 दिनांक 16.12.2014, में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या–1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जावेगाः–

"1. कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दिनांक 16.12.2014 तक दर्ज एवं विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि दिनांक 16.12.2014 से 30 दिवस की अवधि में जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत, 30 दिवस के उपरान्त किन्तु 60 दिवस की अवधि में जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में 75 प्रतिशत एवं 60 दिवस के उपरान्त किन्तु 90 दिवस की अवधि में जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की रियायत देय होगी।"

(सं. प.2(6)वित्त/कर/2014–172)
राज्यपाल के आदेश से,

16/1/15

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

Pl. Circulate to all Amnesty
16-1-15

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

क्रमांक :- F-IGRS/नि.राहत/14-15/ 19-31 दिनांक :- 16/1/15
प्रतिलिपि :- AIG जयपुर एवं समस्त DIG (मुद्रांक) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(के बी. गुप्ता)
आई.ए.एस.
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर